रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2003/फाल्गुन 26, 1924
No. 76] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2003/PHALGUNA 26, 1924

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2003

सं. ओ-22013/1/2001-ओएनजी-III.— सरकार ने अपने दिनांक 21.11.1997 के संकल्प सं. 224 के माध्यम से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया था। उपर्युक्त संकल्प में यह भी विचार किया गया था कि कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादकों को देय कीमतें, 31.03.1998 तक लागू लागत जमा आधारित कीमतों के स्थान पर पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफओबी) अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की बढ़ती हुई प्रतिशतता से जोड़ दी जाएंगी।

2. सरकार ने 1.04.1998 से कच्चे तेल पर रॉयल्टी की नई योजना बनाने के लिए एक समिति का गठन किया क्योंकि, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारें, 1.04.1998 से राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) द्वारा देय रॉयल्टी की दरों के निर्धारण की प्रणाली में संशोधन के लिए अनुरोध करती रही थीं। समिति ने सभी पणधारियों, विशेष रूप से प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक राज्य सरकारों और राष्ट्रीय तेल कंपनियों से विचार-विमर्श किया। समिति ने वित्त मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त प्रतिष्ठित स्वायत्त निकाय, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) की विशेषज्ञ राय भी प्राप्त की। समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद और तत्पश्चात कुछ राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों को देखते हुए सरकार ने 1.04.1998 से कच्चे तेल पर रॉयल्टी की नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। नई योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i) संशोधित रॉयल्टी वितरण राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रदत्त क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) से पूर्व निजी/संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए अन्वेषण ब्लाकों तथा निजी एवं संयुक्त उद्यम ठेकेदारों को दिए गए भूस्थित खोजे गए क्षेत्रों पर लागू होंगी।

ii) रॉयल्टी *यथामूल्य आधार पर* तय की जाएगी।

iii) रॉयल्टी की गणना मौजूदा पद्धति के अनुसार की जाएगी अर्थात 'रॉयल्टी सहित' आधार पर।

iv) रॉयल्टी की गणना मासिक आधार पर की जाएगी।

v) कूप शीर्ष मूल्य निर्धारित करने के लिए भूस्थित तथा अपतटीय उत्पादन के लिए विचारित कच्चे तेल मूल्य में क्रमशः 7.5% तथा 10% कटौती की जाएगी।

vi) 1.04.98 से 31.03.2002 की अवधि के लिए:

(क) कूप शीर्ष मूल्य पर रायल्टी उपर्युक्त उप पैरा (v) में निकाले गए मूल्य के अनुसार अदा की जाएगी तथा इसकी गणना एपीएम समाप्त करने संबंधी सरकारी संकल्प में विनिर्धारित कच्चे तेल के वास्तविक आयात की भारित औसत एफओबी कीमत की अधिसूचित प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी।

(ख) भूस्थित तथा उथले जल अपतटीय क्षेत्रों (400 मीटर जल गहराई तक) में कच्चा तेल उत्पादन पर रायल्टी उपर्युक्त उप उप पैरा (क) के अनुसार निर्धारित मूल्य से निकाले गए कूप शीर्ष मूल्य की 20% की दर से अदा की जाएगी।

(ग) राज्य सरकारों को इस अवधि के दौरान इन निर्णयों के परिणामस्वरूप अर्जित अतिरिक्त राशि का वहन हो सकता है राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नहीं किया जाए और 1.4.98 से तदर्थ संशोधनों की शर्तों के अंतर्गत किए गए भुगतान का समायोजन करने के बाद तेल पूल खाते की देयताओं के अतर्गत राज्यों को इसका भुगतान किया जाएगा।

(घ) इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप इस अवधि में अर्जित अधिक धनराशि राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा न दी जाए और इसे माफ कर दिया जाए।

vii) 1.04.2002 से प्रभावी :

(क) 'निकटवर्ती अंतरण' के आधार पर उत्पादकों द्वारा वसूले गए/ वसूली योग्य बाजार मूल्य से निकाले गए कूप शीर्ष मूल्य पर रायल्टी की गणना करते समय विचार किया जाएगा।

(ख) वर्ष 2006-2007 तक उपर्युक्त उप उप पैरा (क) में यथा निर्धारित निकाले गए मूल्य के आधार पर कूप शीर्ष मूल्य के 20% की दर पर रायल्टी की अदायगी भूस्थित क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन के लिए की जाएगी। 1.5% प्रतिवर्ष की दर से रायल्टी की दर को कम करते हुए 2007-08 से अभिसारण प्रक्रिया आरंभ की जाए ताकि 2011-12 तक पांच वर्ष की अवधि के अंदर 12.5% के एनईएलपी की दरों के अनुसरण में सुविधा रहे। तीन वर्ष बाद अर्थात् 2005-06 के दौरान इसको सुचारू बनाए रखने के लिए मामले की समीक्षा की जाए।

(ग) उथले जल अपतटीय क्षेत्रों (400 मीटर गहरे जल में) में कच्चे तेल के उत्पादन के लिए उपर्युक्त उप उप पैरा (क) में यथा निर्धारित मूल्य से निकाले गए कूप शीर्ष मूल्य में 10% की दर से रायल्टी का भुगतान किया जाएगा।

(घ) 400 मीटर से अधिक गहरे जल क्षेत्र से कच्चे तेल के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्षों के दौरान रायल्टी दरें उथले जल क्षेत्रों के लिए लागू दरों की आधी होंगी।

(ङ) 25° एपीआई या इससे कम के भारी कच्चे तेल के लिए रायल्टी दर भूस्थित तथा अपतटीय क्षेत्रों से सामान्य कच्चे तेल की लागू दरों से 2.5% कम होगी।

viii) इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप 01.04.2002 के बाद अर्जित रॉयल्टी के लिए अतिरिक्त धनराशि की अदायगी इस अवधि में किए गए रॉयल्टी भुगतान के समायोजन के बाद की जाएगी।

ix) नागालैंड राज्य से कच्चे तेल के उत्पादन पर रायल्टी की लागू दर से 2% अधिक की विशेष अनुदान राशि राज्य को अदा की जाएगी।

x) वर्धित तेल प्राप्ति (ईओआर)/उन्नत तेल प्राप्ति (आईओआर) के अंतर्गत क्षेत्रों से उत्पादन पर रायल्टी की घटी हुई दरें उगाही जाएंगी। लेकिन इस प्रकार के प्रत्येक ईओआर/आईओआर से कच्चे तेल उत्पादन की यह घटी हुई दरें पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भूस्थित क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकार (सरकारों) से तथा अपतटीय क्षेत्रों में वित्त मंत्रालय से परामर्श करके अधिसूचित की जाएंगी।

xi) केवल कच्चे तेल के नियामक मूल्य के निर्धारण के लिए स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

xii) वर्तमान परिदृश्य में राज्यों और केन्द्र को वस्तु रूप में रायल्टी का भुगतान संभव नहीं है।

xiii) रायल्टी प्रयोजनों के लिए मूल्य निर्धारण हेतु, तेल उद्योग विकास अधिनियम,1974 के तहत उपकर शामिल करने का मुद्दा, एपीएम को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की अवधि अर्थात 1998-2002 में तथा परवर्ती एपीएम अवधि अर्थात 1.4.2002 के बाद, उपरोक्त अन्य सिफारिशों को देखते हुए उठाना उचित नहीं होगा।

xiv) ओआईडी उपकर तथा अन्य उगाहियों से संबंधित मामलों की जांच इस मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके की जाएगी।

नोटः 1 रॉयल्टी गणना के लिए उप पैरा (iii) में संदर्भित 'रॉयल्टी सहित' आधार पर वर्तमान प्रणाली निम्नानुसार है :

$$\text{रॉयल्टी राशि} = \frac{\text{कूप शीर्ष मूल्य} \times \text{रॉयल्टी दर}}{100 + \text{रॉयल्टी दर}}$$

नोट: 2 उप पैरा (ix) में उल्लिखित 2% विशेष अनुदान की गणना ऊपर नोट-I में दी गई पद्धति के अनुसार लागू रॉयल्टी दर के अतिरिक्त की जाएगी और संबंधित पट्टाधारकों द्वारा नागालैण्ड राज्य को इसकी अदायगी की जाएगी।

3. उपर्युक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित अधिसूचना, आदेश आदि पृथक रूप से जारी किए जाएंगे, तथापि उसमें यथा निर्धारित तिथियों तक बकाया रॉयल्टी पर कोई ब्याज् नहीं होगा।

ज. मो. माऊसकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 17th March, 2003

No. O-22013/1/2001-ONG-III—The Government vide its Resolution No 224 dated 21.11.1997 decided the phased dismantling of Administered pricing Mechanism (APM). In the aforesaid resolution, it was envisaged that the prices payable to the indigenous crude oil producers will be linked to the increasing percentage of international prices Free on Board (FOB) in place of cost plus based prices prevalent till 31.03.1998.

2. The Government, constituted a Committee for evolution of a new scheme of royalty on crude oil w.e.f. 1.4.1998, because, inter-alia, the State Governments had been requesting for revision in the methodology for fixation of the rates of royalty paid by National Oil Companies (NOCs) since 01.04.1998. The Committee consulted all stakeholders, especially the major oil & gas producing State Governments and the National oil companies. It also obtained expert opinion of National Institute of Public Finance & Policy (NIPFP), an eminent autonomous body supported by the Ministry of Finance. After considering the recommendations of the Committee and subsequent views of some of the State Governments, the Government has decided to introduce new Scheme of Royalty on crude oil w.e.f. 01.04.1998. The salient features of the new Scheme are as follows:

(i) The revised royalty dispensation will be applicable to the areas granted to National Oil Companies on nomination basis, the exploration blocks awarded to Private /Joint Venture (Pvt/JV) contractors prior to New Exploration Licensing Policy (NELP), and the onland discovered fields awarded to Pvt/JV contractors.

(ii) Royalty will be fixed on *Ad valorem* basis.

(iii) Royalty will be calculated in accordance with the existing methodology, i.e. on "cum royalty" basis.

(iv) Royalty calculations will be made on a monthly basis.

(v) A deduction of 7.5% and 10% of the crude oil price considered for onland and offshore production respectively will be made in order to determine the wellhead price.

(vi) For the period 1.4.1998 to 31.3.2002:

(a) Royalty will be paid on the wellhead price derived as at sub para (v) above and calculated on the basis of notified percentages of weighted average FOB price of actual import of crude oil stipulated in the Government Resolution on dismantling of the APM.

(b) Royalty on crude oil production from onland and shallow water offshore areas (upto 400mts water depth) will be paid @ 20% of the wellhead price as derived from the price determined as at sub sub para (a) above.

(c) Additional amount accrued during this period to the States as a result of these decisions may not be borne by NOCs and will be paid to the States under liabilities of the Oil Pool Account after adjusting the payments already made in terms of adhoc revisions since 1.4.1998.

(d) Additional amount accrued during this period to the Centre as a result of these decisions may not be paid by the NOCs and may be waived.

(vii) With effect from 01.04.2002 :

(a) The wellhead price of crude oil as derived from the market driven price obtained/obtainable by the producers based on "arm's length transactions" will be considered for royalty calculations.

(b) For crude oil production from onland areas, royalty will be paid @ 20% of the wellhead price as derived from the price determined as at sub sub para (a) above till the year 2006-07. The convergence process may commence w.e.f. 2007-08 with tapering rates of royalty @ 1.5% each year so as to facilitate convergence with NELP rates of 12.5% within a period of 5 years, i.e. by 2011-12 to be calculated accordingly. The matter may be reviewed for fine-tuning after 3 years, i.e. during 2005-06.

(c) For crude oil production from shallow water offshore areas, (upto 400 mts. of water depth) royalty will be paid @ 10% of the wellhead price as derived from the price determined as at sub sub para (a) above.

(d) For crude oil production from deepwater areas, i.e. beyond 400 mts of water depth, the royalty rates during the first seven years of commercial production will be half of the rates as applicable for shallow water areas.

(e) For heavier crude oils of 25^0 API and less, the royalty rate will be 2.5% lesser than the applicable rates for normal crude oils from onland and offshore.

(viii) Additional amounts against the Royalty accrued after 01.04.2002 as a result of these decisions will be paid after adjusting the royalty payments already made for the period.

(ix) A special grant @ 2% over and above the applicable rate of royalty will be paid to the State of Nagaland on the crude oil production from the State.

(x) Reduced rates of royalty will be levied for production from fields under Enhanced Oil Recovery (EOR)/Improved Oil Recovery (IOR). However, reduced rate of royalty for crude oil production from each of such EOR/IOR schemes will be notified by Ministry of Petroleum & Natural Gas in consultation with the concerned State Government(s) for the onland areas and Ministry of Finance for offshore areas.

(xi) There is no need for setting up an independent agency only for determination of the normative price of crude oil.

(xii) It is not feasible in the present scenario to make payments of royalty in kind to the States and the Centre.

(xiii) The question of inclusion of Cess under the Oil Industry Development Act, 1974 for price determination for royalty purposes would not be relevant during the phased deregulation of APM period i.e. 1998-2002, and post APM period, i.e. after 01.04.2002, in view of the other decisions above.

(xiv) Matters relating to OID Cess and other levies will be examined separately by this Ministry in consultation with Ministry of Finance.

Note: 1 The existing methodology, on 'cum royalty' basis referred to at sub para (iii), for royalty calculation, is as follows:

$$\text{Royalty amount} = \frac{\text{Wellhead Price X Royalty Rate}}{100 + \text{Royalty Rate}}$$

Note: 2 The special grant of 2%, at sub para (ix) will be calculated as per the methodology as per Note 1 above, over and above the applicable rate of royalty and will be paid to the State of Nagaland by the lease holders concerned.

3. The requisite notifications, orders etc. to implement the above decision will be issued separately, however, there will be no interest on arrears of royalty upto the due dates as determined therein.

J. M. MAUSKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.